

जावीद अहमद

आई0पी0एस0



पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश

1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ जुलाई 5, 2016

विषय : उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)(संशोधन) अधिनियम 2015 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

कृपया आप समस्त इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में अनुलग्नकों सहित निर्गत परिपत्र संख्या : 29/2016 दिनांक 28.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)(संशोधन) अधिनियम 2015 का अनुपालन किये जाने विषयक है।

2. आप अवगत हो कि उपरोक्त संशोधित अधिनियम उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है तथा इसकी प्रति आप सभी को पूर्व में निर्गत परिपत्र के साथ प्रेषित की गयी है। आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि संशोधित अधिनियम का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा नये प्राविधानों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि संशोधित अधिनियम में मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड-ख में उपखण्ड-15 के पश्चात नये उपखण्ड 16 से 25 तक जोड़े गये हैं। इस प्रकार मूल अधिनियम को अधिक व्यापक एवं कठोर बनाया गया है। उपखण्ड 16 से 25 में निम्न अपराध शीर्षकों को शामिल किया गया है :-

16. साहूकारी विनियम अधिनियम 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध ।
17. गोवध निवारण अधिनियम 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता।
18. वाणिज्यिक शोषण, बन्धुआ श्रम, बाल श्रम एवं शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना।
19. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध।
20. जाली भारतीय करेन्सी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना।
21. नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय एवं वितरण में अर्न्तग्रस्त होना।

22. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना।
23. भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाष के लिए गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना।
24. आमोद तथा पणकर अधिनियम 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध।
25. राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।

3. अतः उपरोक्त वर्णित अपराधों के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम की कार्यवाही किये जाने का विकल्प इस संशोधन के बाद प्राप्त हो गया है।

4. आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)(संशोधन) अधिनियम 2015 में दिये गये नये प्राविधानों का उपयोग अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों को दण्डित करने के लिए प्रभावी रूप से करना सुनिश्चित करें ताकि एक सकारात्मक संदेश समाज के सभी वर्गों में जाये तथा इस तरह के अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लग सके।

भवदीय


(शाफीद अहमद)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।